

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02 / (एम.ए.सी.पी.-17-01 / 2016).....5418..... / राँची, दिनांक 29-11-16 /

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग अंतर्गत वैसे डिग्रीधारी सहायक अभियंता (यांत्रिक), जिनकी नियुक्ति वर्ष 1979 में कनीय अभियंता(असैनिक) के पद पर की गई थी, को तृतीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति प्रदान करने के निमित्त स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले प्रस्ताव के क्रम में संबंधित अभियंताओं का निम्नांकित परिशिष्ट में अंकित सूचना / अभिलेख की आवश्यकता है।

परिशिष्ट-‘क’

क्रमांक	GPF /PRA N NO.	पदाधिकारी का नाम / पदनाम / आई. डी. / गृह जिला / जन्मतिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवा में नियुक्ति की तिथि एवं नियुक्ति का पद अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए	विभाग में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की स्थिति आदेश सं. एवं दिनांक सहित (प्रासंगिक पत्र की प्रति सहित)	विभागीय / व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति तिथि सहित (प्रासंगिक पत्र की प्रति सहित)	आरोप की स्थिति / कोई सजा दी गयी तो उसका विवरणी	वर्तमान पे बैंड एवं ग्रेड वेतन	निलम्बन अवधि / पद स्थापन की प्रतीक्षा अवधि / अनुपस्थिति अवधि (प्रसंग की प्रति संलग्न करते हुए)	1 st & 2 nd ACP की स्थिति (तिथि एवं वेतनमान सहित) (प्रसंग का पत्र की प्रति संलग्न करते हुए) वेतन एवं ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट :- संबंधित अभिलेख संलग्न किया जाना आवश्यक है।

परिशिष्ट-‘ख’

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदस्थापन विवरणी	
		कब से	कब तक
1	2	3	4

अतः संबंधित अभियंतागण उक्त सूचना / अभिलेख पन्द्रह दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना चाहेंगे।

Bhraman
29.11.16

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)